


क्रमांक:—एफ.16 24/ भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/12

दिनांक :

संपरिवर्तन आदेश


प्रिन्स इन्टरनेशनल एकेडमी संस्था पालवास रोड, सीकर के आवेदन पर आवेदक आवेदक की खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 एवं राजस्व विभाग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 6(6) राज-6/92 पार्ट/8 दिनांक 26.4.2011 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन /नियमितिकरण किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पित्ता/पति के नाम सहित पूरा पता	:	प्रिन्स इन्टरनेशनल एकेडमी संस्था पालवास रोड, सीकर
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है	:	-
3.	(क) संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा (ख) ग्राम/ग्राम पंचायत /तहसील का नाम (ग) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	:	ग्राम पालवास ग्राम पंचायत कवरपुरा तहसील सीकर खसरा नम्बर 614/66 रकबा 0.29 है0
	प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	:	खसरा नम्बर 614/66 रकबा 0.29 है0 अर्थात 2900 वर्ग मीटर
	टिप्पणी:—(अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।)	:	-
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	:	सांस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5.	संदेय प्रीमियम की दर	:	5.00/-रु0 प्रति व0मी0
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गई प्रीमियम की राशि	:	चालान नं. 243 दिनांक 27.8.2012 राशि रुपये 48500/- (प्रीमियम राशि- रु0 14500 + शास्ति राशि रु0 34000)
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई राशि	:	चालान नं. 243 दिनांक 27.8.2012 शास्ति राशि रुपये 34000/-
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो,की जमा कराई गई राशि	:	शून्य
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधिन जारी किया गया है?	:	हां (1700 वर्ग मीटर)
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	:	इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार भूमि छोडते हुए।


PRINCIPAL
Prince College
PALWAS, SIKAR

प्रमाणित फोटोप्रति

उप पंजीयक, सीकर


Secretary
Prince International Academy Sanstha
Palwas Road, SIKAR

उपभूत संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा -

1. इंडियन रोड कॉर्पोरेशन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि छोड़कर संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी। तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा।
2. निकटस्थ नगर पालिका/स्थानीय निकाय की उप विधियों एवं निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निर्माण कराया जा सकेगा। व पूर्व निर्माण निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप होना सुनिश्चित किया जावे।
3. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.6(6)राज-6/92 पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
4. भूखण्ड में 40 प्रतिशत भाग अन्य आवश्यक सुविधाओं हेतु खुला रखना होगा।
5. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समहृत हो जायेगा।
6. उक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
7. निगम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
8. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0 द्वारा घोषित हरित राजस्थान अभियान के तहत सरपान कैम्पस में पेड़ लगाने होंगे।
9. निर्मित भवन में बरसाती पानी संग्रहण ढांचा निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप बनाया जाएगा।

प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलेक्टर, सीकर)

क्रमांक-एफ.16 (24)भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/12/ 6852-60 दिनांक:- 20-8-12
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. उप शासन सचिव, राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग, राज0 जयपुर
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर
3. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखाकार, कलेक्ट्रेट, सीकर
4. उपखण्ड अधिकारी, सीकर
5. तारसीलदार, सीकर
6. सरपंच, गाम पंचायत, कंवरपुरा पंचायत समिति, धोद जिला सीकर
7. प्रिन्स इंटरनेशनल एकेडमी संस्था पालवास रोड, सीकर
8. रक्षित पत्रावली।

प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलेक्टर, सीकर)

प्रमाणित फोटोप्रति

उप पंजीयक, सीकर

PRINCIPAL
Prince College
PALWAS, SIKAR

Secretary
Prince International Academy Sanstha
Palwas Road, SIKAR
Palwas Road, SIKAR